



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10022026-270019
CG-DL-E-10022026-270019

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 641]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 10, 2026/माघ 21, 1947

No. 641]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 10, 2026/MAGHA 21, 1947

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(एसईजेड अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 2026

का.आ. 675(अ).— यतः, मै. डीएलएफ लिमिटेड ने पश्चिम बंगाल राज्य में प्लॉट नंबर II-F/1, ब्लॉक-II-F, एक्शन एरिया II, न्यू कोलकाता टाउनशिप राजारहाट, कोलकाता में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और, यतः केन्द्र सरकार ने, विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1523(अ) दिनांक 23 जून, 2008 द्वारा उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन में 10.4813 हेक्टेयर के क्षेत्र को अधिसूचित किया था;

और यतः, मै. डीएलएफ लिमिटेड ने अब उपरोक्त विशेष आर्थिक जोन में से 7.1826 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

और, यतः, पश्चिम बंगाल सरकार ने पत्र संख्या आई/691662-आईसीई-14011(19)/1/2025 दिनांक 15 सितम्बर, 2025 के तहत प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है;

और, यतः, विकास आयुक्त, फाल्टा विशेष आर्थिक जोन ने 7.1826 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव की सिफारिश की है। अनधिसूचना के बाद, उक्त भूमि का उपयोग डीटीए उद्देश्य के लिए किया जाएगा;

और, यतः, केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) और अन्य संबंधित आवश्यकताओं को पूरा कर लिया गया है;

अतः अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्वारा 7.1826 हेक्टेयर के क्षेत्र को उपरोक्त विशेष आर्थिक जोन से अनधिसूचित करती है, जिसके परिमाणतः एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 3.2987 हेक्टेयर हो जाएगा। अनधिसूचना के लिए निम्नलिखित तालिका में उल्लेखित प्लॉट संख्या और क्षेत्र शामिल है, अर्थात्:-

अनधिसूचित क्षेत्र हेतु तालिका

क्र. सं.	प्लॉट नंबर	कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
	प्लॉट नंबर II-F/1, ब्लॉक-II-F, एक्शन एरिया II, न्यू कोलकाता टाउनशिप राजारहाट, कोलकाता, पश्चिम बंगाल	7.1826
	कुल	7.1826
	उपयुक्त घटाव के पश्चात् एसईजेड का कुल क्षेत्रफल	3.2987

[फा. सं. एफ.2/43/2006-एसईजेड]

विमल आनंद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(SEZ DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th February, 2026

S.O. 675(E).— Whereas, M/s. DLF Limited, had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a Special Economic Zone for Information Technology and Information Technology Enabled Services Special Economic Zone at Plot No. II-F/1, Block-II-F, Action Area II, New Kolkata Township Rajarhat, Kolkata, in the State of West Bengal;

AND, WHEREAS, the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, had notified an area of 10.4813 hectares at the above Special Economic Zone vide Ministry of Commerce and Industry Notification Number S.O. 1523(E) dated 23rd June, 2008;

AND, WHEREAS, M/s. DLF Limited has now proposed for de-notification of 7.1826 hectares from the above Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the State Government of West Bengal has given its approval to the proposal vide letter No. I/691662-ICE-14011(19)/1/2025 dated 15th September, 2025;

AND, WHEREAS, the Development Commissioner, Falta Special Economic Zone has recommended the proposal for de-notification of an area of 7.1826 hectares of the above Special Economic Zone. Further, after the de-notification, the land will be utilized for DTA purpose;

AND, WHEREAS, the Central Government is satisfied that the requirements under sub-section (8) of section 3 of the said Act and other related requirements are fulfilled;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby de-notifies an area of 7.1826 hectares of the above Special Economic Zone, thereby making the total area of the Special Economic Zone as 3.2987 hectares. The Plot number and area for the de-notification are given below in the table, namely: -

TABLE FOR DE-NOTIFICATION OF AREA

Sl. No.	Plot No	Total Area (in Hectares)
1.	Plot No. II-F/1, Block-II-F, Action Area II, New Kolkata Township Rajarhat, Kolkata, West Bengal	7.1826
Total		7.1826
Grand Total Area of SEZ after above denotification		3.2987

[F. No. F.2/43/2006-SEZ]

VIMAL ANAND, Jt. Secy.